रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062022-236918 CG-DL-E-30062022-236918

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2816] No. 2816] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

## (आय-कर)

का.आ. 2959(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (47क) के स्पष्टीकरण के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक टोकन विनिर्दिष्ट करती है जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (47क) के उपखंड (क) के अर्थ के भीतर अप्रतिमोच्य टोकन के रूप में आभासी डिजिटल आस्ति होने के लिए अर्हित है, किन्तु उसमें ऐसी अप्रतिमोच्य टोकन सम्मिलित नहीं होगी जिसके अंतरण का परिणाम अंतर्निहित मूर्त आस्ति के स्वामित्व का अंतरण है और ऐसी अंतर्निहित मूर्त आस्ति के स्वामित्व का अंतरण विधि मान्य रूप से प्रवृतनीय है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 75 /2022/फा. सं. 370142/29/2022-टीपीएल(भाग-1)]

अंकित जैन. अवर सचिव

4360 GI/2022 (1)

## MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

## (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2022

#### (Income-tax)

**S.O. 2959(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Explanation to clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred as 'the Act'), the Central Government hereby specifies a token which qualifies to be a virtual digital asset as non-fungible token within the meaning of sub-clause (a) of clause (47A) of section 2 of the Act but shall not include a non-fungible token whose transfer results in transfer of ownership of underlying tangible asset and the transfer of ownership of such underlying tangible asset is legally enforceable.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[Notification No. 75/2022/F. No. 370142/29/2022-TPL (Part-I)]

ANKIT JAIN, Under Secy.